



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

No.16/16/2026-Admin./E.290475

Dated:23/10/2026

सेवा में,

अधिकृत प्रतिनिधि,

Dr. Lal Path Labs Ltd. एवं CGHS पैनेल से स्वीकृत

अन्य सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं/डायग्नोस्टिक सेंटरों को।

विषय: CGHS वेलनेस सेंटर/सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला परीक्षणों हेतु संबंधित CGHS डिस्पेंसरी से पुनः अनुमोदन (Endorsement) प्राप्त किए बिना कैशलेस जाँच सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

इस परिषद के संज्ञान में आया है कि ICMR के सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं उनके पात्र आश्रित परिवारजनों को चिकित्सकों द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला परीक्षण कराने हेतु संबंधित CGHS डिस्पेंसरी से पुनः अनुमोदन (Endorsement) प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

3. इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. Z15025/19/2024/DIR/CGHS/EHS (Computer No. 8281286), दिनांक 28.06.2024 के पैरा B(ii) में प्रावधान किया गया है कि CGHS से प्रारंभिक रेफरल प्राप्त होने के उपरांत CGHS-पैनलबद्ध निजी अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित नियमित सूचीबद्ध प्रयोगशाला जाँचों एवं ऐसी छोटी प्रक्रियाओं, जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, हेतु प्रारंभिक रेफरल की तारीख से तीन माह की वैधता अवधि के दौरान पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तथापि, यह छूट उक्त प्रावधान में निर्धारित शर्तों के अधीन लागू होगी। CT Scan, MRI Scan, PET Scan तथा ₹3,000/- से अधिक लागत वाली अन्य जाँचों के लिए संबंधित CGHS नियमों के अनुसार रेफरल/अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधानों एवं लागू नियमों के अनुरूप ICMR के सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं उनके पात्र आश्रित परिवारजनों को कैशलेस प्रयोगशाला जाँच सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि जहाँ लागू नियमों के अनुसार पुनः अनुमोदन आवश्यक नहीं है, वहाँ लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से संबंधित CGHS डिस्पेंसरी के चक्कर न लगाने पड़ें। जिन जाँचों के लिए रेफरल/अनुमोदन अनिवार्य है, उनमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

3. यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में अपनी संबंधित शाखाओं/संग्रह केन्द्रों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार कैशलेस जाँच सुविधा प्राप्त करने में अनावश्यक असुविधा न हो।

यह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

Digitally signed by भवदीय

Jaibir Singh

Date: 24-10-2026

12:35:20 (जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. एम.आर. सेल, आईसीएमआर मुख्यालय, नई दिल्ली
2. निदेशक, आईसीएमआर - i)NIRDH (NIMS), New Delhi, ii) NICHR (NIP), New Delhi, iii)NIMR, Dwarka, iv) NICPR, Noida
3. श्री नरेश चंद, पूर्व अनुभाग अधिकारी
4. डॉ. मनजीत सिंह चालगा, आई.सी.एम.आर. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।